– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी लालसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 5.4552 हैक्टेयर में से रकबा 2.7276 हैक्टेयर दक्षिणी भाग एवं खसरा नम्बर 88 रकबा 4.3706 हैक्टेयर में से रकबा 2.1853 हैक्टेयर दक्षीणी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 2.6062 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 शिम्भूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 5.4552 हैक्टेयर में से रकबा 2.7276 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 4.3706 हैक्टेयर में से रकबा 2.1853 हैक्टेयर उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 फूलकंवर व संतोषकंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28-6-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner